न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 99/2019

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह रामगढिया निवासी गोलूवाला जिला हनुमानगढ	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

दिनांक रजू:- 02.12.2019

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 16/03/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/53 के मुरब्बा नम्बर 28, 55/10 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 158/3795 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 23/43 के मुरब्बा नम्बर 40 2.530 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 316/1265 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा वादिया के नाम पंजीकृत बन्द वसीयत दिनांक 10.08.2009 के आधार पर जरिए नामान्तरण दर्ज हुआ है। उक्त वसीयत में मुझ वादी का नाम जरनैल कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह मेरे दादा द्वारा दर्ज करवा दिया गया। वादी का पीहर का नाम जरनैल कौर व सुसराल में नाम स्वर्णजीत कौर है। वादिया को जरनैल कौर व स्वर्णजीत कौर दोनों नामों से जाना जाता है। वादिया के दादा के वारिस प्रमाण पत्र में भी मुझ वादी का नाम जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर दर्ज है। वादिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज में वादिया का नाम स्वर्णजीत कौर दर्ज है। जमाबन्दी में वादिया का नाम जरनैल कौर दर्ज होने के कारण वादिया को भारी पेरशानियों का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एंव अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादिया उक्त जमाबन्दी में अपना नाम जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह जाति तरखान निवासी गोलूवाला अंकित करवाना चाहती है। वादी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 22.11.2019 को तहसीलदार राजस्व के पक्ष में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। इस कारण वादी राजस्व प्रविष्ठियों में संशोधन हेतु घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता [illegible] 43 में वादिया का नाम जरनैल कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह जाति [illegible] के स्थान पर जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह जाति तरखान निवासी गोलूवाला घोषित किये जाने के आदेश दिए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंत्राक 9398 दिनांक 28.02.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 37 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 56/53 में संयुक्त खाते में जरनैल कौर

16/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह जाति रामगढिया 0.316 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 23/43 में संयुक्त खाते में जरनैल कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नि अमरजीत सिंह जाति रामगढिया 0.632 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थिया के नाम उक्त भूमि जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 476 दिनांक 24.04.2015 द्वारा दर्ज हुई है। प्रार्थिया उक्त चक या पटवार हलका में निवास नहीं कर अन्यत्र निवास करती है। साक्ष्यवादी में वादिया ने स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र, सहखातेदार हरपाल सिंह, इन्द्र सिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। ब्यान लिए गए जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किये गए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता वादिया एंव राजपैरोकार विस्तारपूर्वक सुनी। वादपत्र तथा साक्ष्यवादी के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र PW-1, PW-2, PW-3, जमाबन्दी प्रदर्श-1, प्रदर्श-2 सरपंच ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श-3 एंव आधार कार्ड प्रदर्श-4A एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रदर्श-1, 2, 3, 4A के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/53 व 23/43 में अपना नाम जरनैल कौर के स्थान पर जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार प्रार्थिया के नाम उक्त भूमि जरिए वसीयत इन्तकाल 476 दिनांक 24.04.2015 द्वारा दर्ज हुई है। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गोलुवाला निवादान के अनुसार स्वर्णजीत कौर व जरनैल कौर एक ही महिला के दो नाम बताए गए। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में स्वर्णजीत कौर अंकित है। बचन सिंह (मृतक) के वारिस प्रमाण पत्र में वादिया का नाम जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादिया का नाम जरनैल कौर दर्ज है। अतः वादिया का नाम जरनैल कौर के स्थान पर जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/53 व 23/43 में जरनैल कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह के स्थान पर जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह जाति तरखान निवासी गोलूवाला अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

16/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.08 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

16/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **99/2019**
निर्णय दिनांक :- 16.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) **श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/53 व 23/43 में जरनैल कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह के स्थान पर जरनैल कौर उर्फ स्वर्णजीत कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह जाति तरखान निवासी गोलूवाला अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 24/03/21...... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प डयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 24/3/21

क्रमांकः राजस्व/ 2021/152
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested